

ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत अनुभागों में कार्य आवंटन

ऊर्जा अनुभाग-1

1. विद्युत उत्पादन की सरकारी क्षेत्र में नई परियोजनाओं की स्थापना संबंधी कार्य ।
2. सरकारी क्षेत्र की विद्युत उत्पादन की परियोजनाओं की आर एण्ड एम संबंधी कार्य ।
3. ग्रामीण विद्युतीकरण, ए0पी0डी0आर0पी तथा निजी नलकूप संबंधी सभी कार्य ।
4. नये सब-स्टेशन की स्थापना, क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों का बदलना तथा राजकीय नलकूपों/लघुडाल नहरों की विद्युतज दोष से बंदी संबंधी समस्त कार्य ।
5. शासकीय ऋण/गारंटी संबंधी सभी कार्य ।
6. मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं का अनुपालन ।
7. बजट संबंधी सभी कार्य ।
8. ड्राफ्ट/आडिट पैरा संबंधी समस्त कार्य ।
9. सार्वजनिक उपक्रम समिति से संबंधित प्रकरणों का समन्वय ।

ऊर्जा अनुभाग-2

1. सर्तकता/सी0बी0आई0/लोकायुक्त/प्रशासनिक आदि सभी प्रकार की जांच संबंधी कार्य ।
2. सभी निगमों/विद्युत वितरण कम्पनियों के अधिष्ठान का कार्य ।
3. हड़ताल संबंधी समस्त कार्य ।
4. मा0 मुख्यमंत्री जी/मा0 ऊर्जा मंत्री /मुख्य सचिव के संदर्भों का समन्वय ।

ऊर्जा अनुभाग-3

1. विद्युत के बकायों/बिल संबंधी विवादों के मामलें ।
2. विद्युत चोरी के मामले ।
3. औद्योगिक विवाद/बी0आई0एफ0आर0 के मामलें ।
4. लोक लेखा समिति से संबंधित प्रकरणों का समन्वय ।
5. आर0ई0जी0एल0 से संबंधित सभी मामले ।
6. विद्युत सुरक्षा निदेशालय का अधिष्ठान ।
7. भूमि अध्याप्ति के सभी मामले ।
8. विधान सभा/विधान परिषद/लोक सभा / राज्य सभा के प्रश्न/सूचनाओं एवं सभी समितियों के प्रकरण का समन्वय ।
9. विद्युत दुर्घटनाओं के मामलें ।
10. शिकायत-पत्रों पर कार्यवाही ।

ऊर्जा निजी निवेश प्रकोष्ठ (डेस्क आफिसर)

1. विद्युत अधिनियम / इलेक्ट्रिसिटी रिफार्म एक्ट/इलेक्ट्रिसिटी रूल्स संबंधी समस्त कार्य ।
2. ऊर्जा नीति से संबंधित समस्त कार्य ।
3. इनर्जी टास्क फोर्स संबंधी समस्त कार्य ।
4. निजी निवेशकों द्वारा निवेश का सभी परियोजनाओं का कार्य । (आर0ई0जी0एल0 को छोड़कर)
5. डिस्कॉम के निजीकरण का कार्य ।
6. आर0ई0जी0एल0 से संबंधित सभी मामलें ।